**प्रेस नोट**
**दिनांक 16.04.2026**

## थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुदाल बरामद–

**कार्यवाहीः–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष मातीगंज/प्रशिक्षु आईपीएस श्री प्रदीप कुमार नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–73/2026 धारा 109,115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अजीत कुमार पुत्र राधेश्याम, 02. सीमा सिंह उर्फ अब्बी सिंह पुत्री राधेश्याम, 03. स्मिता सिंह पत्नी अजीत सिंह निवासीगण ग्राम कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उनके घर के पास से गिरफ्तार कर कर उनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कुदाल बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 05.04.2026 को समय लगभग 22:00 बजे थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैमी में पुरानी रंजिश के चलते विपक्षीगण अजीत सिंह, सीमा उर्फ अब्बी सिंह एवं सुनीता सिंह द्वारा वादी शिवांकर सिंह की माता सत्यभामा को पकड़कर अजीत सिंह द्वारा कुदाल से जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनके सिर व दाहिने सीने में गंभीर चोटें आईं। शोर–शराबा सुनकर ग्रामवासियों के हस्तक्षेप से पीड़िता की जान बच सकी। घटना के उपरांत विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 16.04.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तगण–01. अजीत कुमार पुत्र राधेश्याम, 02. सीमा सिंह उर्फ अब्बी सिंह पुत्री राधेश्याम, 03. स्मिता सिंह पत्नी अजीत सिंह निवासीगण ग्राम कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उनके घर के पास से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कुदाल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण–**

01. अजीत कुमार पुत्र राधेश्याम, नि0 ग्राम कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. सीमा सिंह उर्फ अब्बी सिंह, पुत्री राधेश्याम नि0 ग्राम कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
03. स्मिता सिंह पत्नी अजीत सिंह उम्र नि0 ग्राम कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0– 73/2026 धारा 109,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी–**

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुदाल।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**

01. उ0नि0 श्री तेजनरायन गुप्ता।
02. का0 सचिन कुमार।
03. म0का0 हंसा यादव।
04. म0का0 विनीता।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 16.04.2026**

## फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर राजस्व क्षति करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 54/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5), 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम चंदनपुर महमूदपुर बाजार थाना बिसवां जनपद सीतापुर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

## घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी सुरेन्द्र कुमार, राज्य कर अधिकारी खण्ड–4 गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि फर्म सर्वश्री कुमार इण्टरप्राईजेज (द्वारा जीएसटी पोर्टल पर फर्जी/अस्तित्वहीन फर्मों से बिना वास्तविक माल/सेवा प्राप्त किये बोगस इनवर्ड सप्लाई दर्शाकर लगभग ₹98,25,190/– की आईटीसी का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया तथा उसे अन्य फर्मों को पास–ऑन किया गया। जांच/रेकी में फर्म अपने घोषित पते पर अस्तित्वहीन पायी गयी तथा संबंधित मोबाइल नंबर भी बंद मिला। फर्म द्वारा कूटरचित अभिलेखों के आधार पर पंजीकरण कराकर सुनियोजित ढंग से कर अपवंचन कर सरकार को राजस्व क्षति पहुँचायी गयी। उक्त कृत्य के संबंध में फर्म स्वामी मनोज कुमार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कौड़िया पुलिस व अपराध शाखा की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश करते हुए जीएसटी विभाग से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त का पता ग्राम चन्दनपुर महमूदपुर बाजार थाना बिसवां जनपद सीतापुर पाया गया। उक्त पते पर दबिश देकर अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मेवालाल, उम्र लगभग 27 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्ज से उसका आधार कार्ड व पैन कार्ड प्राप्त किया गया, जिनका मिलान जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त दस्तावेजों से किया गया, जो सही पाए गए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे प्रमोद नाम के व्यक्ति द्वारा लालच देकर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं उसके नाम से जारी सिम प्राप्त कर लिया गया। इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए अभियुक्त एवं उसके साथियों द्वारा फर्जी तरीके से "कुमार इंटरप्राइजेज" नामक फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया तथा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मनोज कुमार पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम चंदनपुर महमूदपुर बाजार थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

## पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–54/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5), 61(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

## बरामदगी–

01. 01 अदद पैन कार्ड।
02. 01 अदद आधार कार्ड।

**<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>**

01. उ0नि0 अंगद सिंह
02. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
03. हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद
04. का0 शाहिद अंसारी
05. का0 सत्येन्द्र यादव

**<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 16.04.2026**

**पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से संवाद, अनुशासन, आचरण एवं पुलिस छवि को सुदृढ़ बनाने हेतु दिए गए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशः–**

गोण्डा। रिक्रूट आरक्षियों की आधारभूत प्रशिक्षण परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। पासिंग आउट परेड के उपरांत कुल 498 रिक्रूट आरक्षियों को थाना स्तर पर 06 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, जहां वे वास्तविक परिस्थितियों में पुलिस कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित अमर शहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों से संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को पुलिस सेवा के मूलभूत सिद्धांतों, अनुशासन, आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा की भावना के प्रति विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षण अवधि के दौरान रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक आचरण की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में सीखे गए मूल्य ही उनके भावी पुलिस जीवन की आधारशिला होंगे। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि थाना स्तर पर नियुक्ति के उपरांत सभी आरक्षी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः सजग एवं जिम्मेदार रहें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में अनुशासन सर्वोपरि है। आमजन के साथ व्यवहार के संबंध में महोदय द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रथम दायित्व जनता की सेवा एवं सुरक्षा है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक एवं शालीन व्यवहार किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अभद्र भाषा का प्रयोग न करते हुए संयमित एवं विनम्र शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। जिसमें बताया गया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है, अतः किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट, फोटो अथवा टिप्पणी साझा न की जाए जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो या गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। सोशल मीडिया का उपयोग पूर्ण जिम्मेदारी एवं मर्यादा के साथ किया जाए। महोदय द्वारा बताया गया कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सेवा एवं जिम्मेदारी का माध्यम है, जिसमें धैर्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता अनिवार्य है। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को प्रेरित करते हुए अपने आचरण एवं कार्यशैली से पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने तथा समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन रिक्रूट आरक्षियों द्वारा पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा में कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**<u>प्रेस नोट</u>**
**<u>दिनांक 16.04.2026</u>**

## ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 15,000/– अर्थदण्ड की सजा–

दिनांक 25.03.2019 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ डॉक्टर लक्ष्मण द्वारा छेड़छाड की गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर मे सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

### दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 16.04.2026 को नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ सम्बन्धी पंजीकृत अभियोग में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश( भ्रष्टाचार निवारण अधि0) महोदया श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 प्रमोद कुमार व थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त लक्ष्मण को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व 15,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

### अभियुक्त का नाम पता–

01. लक्ष्मण पुत्र चांददेव नि0 इमलिया नई बस्ती महेवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–145/2019, धारा 354बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>**

**<u>प्रेस नोट</u>**
**<u>दिनांक 16.04.2026</u>**

## ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण/परिवहन/विक्री करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 15,000/— के अर्थदण्ड की सजा—

### घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 01.09.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कामता प्रसाद सोनकर व उसके साथियों को अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण/परिवहन/विक्री करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 12.11.2021 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

### दोषसिद्धि का विवरण—
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.11.2025 को थाना मनकापुर में पंजीकृत अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण/परिवहन/विक्री सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री वंसत शुक्ला, थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश कुमार गुप्ता व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 मनीषा के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा अभियुक्त कामता प्रसाद सोनकर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व रू0 15,000/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

### अभियुक्त का नाम पता—
01. कामता प्रसाद सोनकर पुत्र ननहकन प्रसादद नि0 भरहू भट्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### अभियोग का विवरण—
01. मु0अ0सं0—259/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधि0, थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>**